संख्या–BSDM/SDI –25/2016- 46

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव–
सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

सभी SDC समन्वयक

पटना, दिनांक– 16/2/2017

विषयः– SDC केन्द्रो पर कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुशल युवा कार्यक्रम में एकरूपता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक SDC केन्द्र पर प्रत्येक बैच में 20 के गुणक में हीं प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया जाये । प्रत्येक बैच में 20 के गुणक में प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन से केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने में सहूलियत होगी साथ हीं प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा केन्द्र में संचालित सभी बैचों में एकरूपता बनाये रखना भी संभव हो सकेगा ।

आप अवगत हैं कि केन्द्र पर प्रयोगशाला की उपलब्धता के अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 80 या 40 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित करने का प्रावधान है । 80 या 40 प्रशिक्षणार्थियों के समूह को केन्द्र द्वारा 20 प्रशिक्षणार्थियों के समूह में चार या दो बैच में प्रशिक्षण दिया जाता है, उदाहरण स्वरूपः–

बैच–1 : 20 प्रशिक्षणार्थी (प्रातः 8.00 बजे से12.00बजे अपराह्न तक)
बैच–2 : 20 प्रशिक्षणार्थी (प्रातः 9.00 बजे से 1.00 बजे अपराह्न तक)
बैच–3 : 20 प्रशिक्षणार्थी (अपराह्न 12.00 बजे से 4.00 बजे तक)
बैच–4 : 20 प्रशिक्षणार्थी (अपराह्न 1.00 बजे से 5.00 बजे तक)

<u>नये SDC केन्द्र के लिए ध्यान देने योग्य बातें</u> :– यदि किसी नये अनुमोदित SDC केन्द्र की क्षमता 80 प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित करने की है तो वे 20-40-60 या 80 की संख्या में हीं अर्थात 20 के गुणक में हीं प्रशिक्षणार्थियों को अंतिम रूप से नामांकित करेंगे । यदि इसके बाद भी उनके केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थी नामांकन हेतु बच जाते हैं तो उनका नामांकन उनकी केन्द्र की क्षमता के अनुरूप अगले प्रशिक्षण बैच के लिए होगा लेकिन कोई भी बैच 20 प्रशिक्षणार्थियों से ज्यादा का नहीं हो सकता है ।

<u>वैसे केन्द्र जो पूर्व से संचालित है, के लिए ध्यान देने योग्य बातें</u> :–

उदाहरणस्वरुपः–

i. यदि पूर्व से संचालित केन्द्र में और 25 प्रशिक्षणार्थी नामांकन कराना चाहते हैं तथा वहाँ अभी 30 प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन के लिये स्थान भी खाली है, वहाँ भी नया बैच 20 प्रशिक्षणार्थियों का हीं बनाते हुए नामांकन किया जायेगा, शेष बचे 5 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन अगले बैच में होगा । शेष बचे प्रशिक्षणार्थियों को वर्त्तमान में संचालित प्रशिक्षण बैच के समाप्ति के पश्चात हीं नामांकित किया जायेगा अन्यथा प्रशिक्षण सत्र एवम् बैच में एकरुपता नहीं रह जायेगी ।

ii. यदि किसी केन्द्र के पास 2 बैच अर्थात बैच 1 एवं 2 को मिलाकर 27 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं तथा उनके पास 53 और नये प्रशिक्षणार्थी नामांकन कराना चाहते हैं वैसे मामले में भी समूह 3 एवं 4 में 20–20 अर्थात 40 और प्रशिक्षणार्थियों का हीं नामांकन होगा । शेष बचे 13 प्रशिक्षणार्थियों के लिये यदि class room अलग होगा तो नामांकन हो सकता है । उनका class room session विल्कुल अलग 13 के समूह में होगा तथा उनका Practical session समूह 1 एवम् 2 के साथ कम्पयूटर लैब में हो सकता है । यदि अलग class room (अर्थात कुल दो क्लास रुम) उस केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है तो 13 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा तथा उनका नामांकन अगले सत्र में 20के समूह में हीं होगा । यदि किसी केन्द्र के द्वारा बिना अतिरिक्त कक्षा के नये प्रशिक्षणार्थियों का क्लासरुम प्रशिक्षण पुराने बैच के प्रशिक्षणार्थियों के साथ किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अंकित दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन करते हुए कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण को संचालित करने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन,

16/2/17

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।